

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 219/2020 - निगरानी

1. देवीलाल पिता बालूराम बनाम सुथार निवासी परासोली तहसील आसीन्द
1. सांवरिया लाल पिता नानूराम सुथार निवासी नई परासोली तहसील आसीन्द
2. सरपंच ग्राम पंचायत परासोली तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
3. सचिव ग्राम पंचायत परासोली तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
4. सत्यनारायण पिता नानूराम, कुमावत निवासी परासोली
5. गोपाल लाल पिता उगमलाल कुमावत निवासी परासोली तहसील आसीन्द

-निगराकार

- गैर निगराकार

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज संसोधित अधिनियम 1994 बाबत् ग्राम पंचायत परासोली द्वारा दिनांक 05.09.2019 को जारी पट्टे को निरस्त कराये जाने बाबत्

उपस्थित -

1. श्री मांगीलाल सेन अधिवक्ता - निगराकार की ओर से
2. श्री जगदीश चन्द्र दाधीच अधिवक्ता - गैर निगराकार संख्या 01, 04 व 05 की ओर से
3. श्री मनोहर लाल कुमर (अधिवक्ता) - विपक्षी सं. 3 की ओर से

निर्णय

दिनांक 20.12.2024

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम विरुद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विपक्षी संख्या 01 के नाम पर पैतृक जायदाद मानते हुये पट्टा पुराने गृहों का विनियमितिकरण के आधार पर दिनांक 05.09.2019 को जारी किया गया जो विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त होने लायक हैं। विवादित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 158 उनियारा से भीम ब्यावर रोड पर स्थित हैं जो कि मेन हाईवे पर स्थित हैं, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र 200/- रुपये मे पैतृक मकान बताकर पट्टा जारी करवा लिया, जिससे ग्राम पंचायत को करोड़ों रूपयों की राजस्व हानि हुयी है। ग्राम पंचायत परासोली द्वारा विवादित भूखण्ड का जो पट्टा जारी किया गया जिसमें पत्रावली कायम नही की गयी एवं मात्र पट्टे में अंकित कर दिया कि प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 05.09.2019 की अनपालना में पट्टा जारी किया गया जिसमें पुराना



45 फीट विपक्षी संख्या-1 की पुश्तैनी जायदाद है, जिस पर विपक्षी संख्या 01 अपने पूर्वजों के समय से ही काबिज हो उपयोग-उपभोग करता चला आ रहा है। विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों की पालना करते हुए विधि अनुसार पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों, आपैचारिकताओं एवं विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए विपक्षी संख्या 01, के पक्ष में विधिवत् पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत ने पत्रावली संधारित कर पट्टा जारी करने हेतु तय नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उक्त पट्टा जारी किया है। उक्त पट्टा जारी होने के पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टे का विधिवत् पंजीयन विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में उपपंजीयक कार्यालय, आसीन्द में करवाया गया। प्रार्थी ने उक्त पंजीयन के सम्बन्ध में मिथ्या आक्षेप लगाये हैं। प्रश्नगत जायदाद विपक्षी संख्या 01 की पुश्तैनी जायदाद है, उसका पट्टा बनाने हेतु विपक्षी संख्या 01 ने ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदनपत्र प्रस्तुत किया, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार शुल्क जमा कर पत्रावली कायम की गयी, तत्पश्चात सचिव द्वारा मकान का नक्शा तैयार किया गया एवं वार्ड पंचों द्वारा स्थल निरीक्षण किया व नियमानुसार आपत्तिपत्र जारी किया गया, इस प्रकार ग्राम पंचायत ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के विधिक प्रावधानों, नियमों एवं औपचारिकताओं का पालन करते हुए विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में पट्टा जारी किया है, जो पूर्णतय विधि सम्मत है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किये जाने में कोई अनियमितता एवं अवैधानिकता नहीं की है। विपक्षी संख्या 01 ने अपने मालिकाना हक की उक्त पट्टाशुदा जायदाद को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विपक्षी संख्या 04 व 05 को कर दिया, जो वर्तमान में प्रश्नगत जायदाद की तन्हा मालिक हो काबिज है। पंजीकृत दस्तावेज को जिला कलेक्टर अथवा अन्य किसी रिजिजनल ऑथोरिटी द्वारा रिजिजनल क्षेत्राधिकार के तहत कानूनन निरस्त नहीं किया जा सकता है, इस हेतु सक्षम न्यायालय में ही विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है। इस प्रकार निगराकार प्रार्थीगण की यह निगरानी कानूनन पोषणीय नहीं होने से निरस्तनीय है। निगराकार प्रार्थी को यह निगरानी प्रस्तुत करने की कोई लोकस स्टण्डाई नहीं है, जिससे भी यह निगरानी निरस्त होने योग्य है। अतः प्रार्थना है कि निगराकार प्रार्थी की यह निगरानी सर्वथा असत्य एवं आधारहीन होने से निरस्त फरमाया जावे। गैर निगराकार संख्या 01, 04 व 05 के अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त पेश किये।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि



प्रश्नगत पटटे के संबंध में किसी प्रकार की पत्रावली संधारित नहीं की गयी एवं पंचायतीराज नियमों की पालना नहीं की गयी।

निगराकार के उक्त कथन के संबंध में पत्रावली परीक्षण उपरांत जाहिर आया कि पत्रावली पर अधीनस्थ न्यायालय की सम्पूर्ण मिसल पत्रावली की प्रमाणित प्रति संलग्न है। मिसल पत्रावली के परीक्षण से जाहिर होता है कि प्रश्नगत पटटे हेतु विपक्षी संख्या 01 द्वारा ग्राम पंचायत में आवेदन किये जाने पर पत्रावली कायम की जाकर प्रस्ताव ग्राम पंचायत कोरम में रखा गया। मिसल पत्रावली में आज्ञाओं की सूची, पुश्तैनी मकान का नक्शा आबादी भूमि में, आक्षेप आमंत्रित सूचना पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र पटटा शुल्क रसीद सभी दस्तावेज पंचायती राज नियमों के अनुसार संलग्न हैं। जिसमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। इस प्रकार निगराकार का कथन कि पत्रावली संधारित नहीं होकर नियमों की अवहेलना की गयी, निराधार सिद्ध होता है।

विपक्षी संख्या 01 द्वारा मिसल पत्रावली की प्रमाणितशुदा प्रति पेश करने पर, मिसल पत्रावली सही अथवा गलत होने के प्रमाण स्वरूप कोई दस्तावेजात निगराकार द्वारा पेश नहीं किये गये एवं न ही मिसल पत्रावली के खण्डन में कोई अन्य तथ्य व्यक्त किये गये।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत ने उक्त प्रश्नगत मिसल संख्या 78/2019 दिनांक 01.01.2019 के जरिये पटटा संख्या 50 दिनांकित 05.09.2019 तत्कालीन नियमों व प्रावधानों के तहत गैर निगराकार संख्या 01 को जारी किया गया, जिसमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। निगराकार की निगरानी सारहीन व आधारहीन एवं तथ्यहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं ठहरती है। अतएव—

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत तथ्यहीन, सारहीन एवं आधारहीन होने से अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत परासोली द्वारा मिसल संख्या 78/2019 दिनांकित 01.01.2019 के जरिये पटटा संख्या 50 दिनांकित 05.09.2019 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत परासोली पंचायत समिति आसीन्द को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

